

कार्यालय

मुख्य

आग्निशमन

आधिकारी

रामपुर।

पत्रांक: प-8 / सीएफओ-पैट्रोलपम्प-अहरो-2017
सेवा में,

दिनांक: अक्तूबर 26, 2017

जिलाधिकारी,
रामपुर।

विषय: चीफ डिवीजनल रिटेल सेल्स मैनेजर, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० बरेली द्वारा ग्राम-अहरो तहसील बिलासपुर जिला रामपुर के खसरा/ गाटा संख्या-318 व 321 पर किसान सेवा केन्द्र रिटेलआउटलेट हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक: 349 (VI) / जे०ए०-2 तद दिनांक 04.10.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र के अनुसार निरीक्षण/परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-


- 1-प्रश्नगत स्थल के सामने रोड़ की चौड़ाई मानक के अनुसार है।
- 2-प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नही गुजर रही है।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोलियम इकाई की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट-1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा के सम्बन्धी प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत है:-

- 1-45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली ।
- 2-ए०बी०सी० टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा० के मानक के अनुसार स्थापित कराये जायें।
- 3-नो स्मोकिंग बोर्ड एवं आपात कालीन टेलीफोन नम्बरों की सूची स्थापित कराया जायें।
- 4-सेण्ड फायर बकेट मानक के अनुसार स्थापित कराये जायें।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थ के निर्माण कार्य के लिए आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत की जाती है।

- 1-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट-1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं सत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित विधि के अनुरूप।
- 2-प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार की हाई/लो टेन्शन विद्युत लाइन नही गुजारी जायेगी।
- 3-प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पेट्रोलियम पदार्थों के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नही किया जायेगा।
- 4-प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड, अग्निशमन केन्द्र का टेलीफोन नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेंगे।
- 5-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर चिंगारी इत्यादि उत्पन्न करने वाले पदार्थों का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किए जायेंगे।
- 6-प्रस्तावित स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई०एस०-1646-1982 व आई०एस०-2148 तथा सम्बन्धित नियमों में निर्धारित मानकों के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।
- 7-प्रस्तावित पेट्रोल पम्प निर्मित किए जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं की स्थापना किये जाने के उपरान्त पेट्रोल पम्प आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम आख्या प्राप्त करनी होगी।



शील कृष्ण धवन/Sheel Krishna Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एच. डी.)
Indian Oil Corporation Ltd. (H.D.)

कमश: 2 पर

(2)

अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन ग्राम-अहरो, तहसील बिलासपुर जिला रामपुर के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० बरेली द्वारा प्रस्तावित किसान सेवा केन्द्र रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी आख्या निर्गत की जाती है, अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

Handwritten signature
(वी०के० सिंह)

मुख्य अग्निशमिता अधिकारी,
रामपुर/मुरादाबाद।

Received
Shankar
23/10/2017

Signature
शील कृष्ण धवन / Sheel Krishan Dhawan
वरिष्ठ प्रबंध (रिटेल सेल्स) / Sr. Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (एम.डी.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
35-ए, कमला नेहरू मार्ग/35-A, Kamla Nehru Marg
बरेली-243001 (उ.प्र.)/Bareilly-243001 (U.P.)